आपूर्तिकर्ताओं के लिए निदेशक सिद्धांत

परिभाषाएं

मूल्यांकन: ऐसी प्रक्रिया, जिसके द्वारा FOTL, एक बाहरी निरीक्षक और अन्य व्यावसायिक साझेदार यह निर्धारित करते हैं, कि क्या कोई सुविधा निर्दिष्ट आवश्यकताओं के अनुपालन में है, और कमियों और चिंता के क्षेत्रों की पहचान करते हैं।

सुधारात्मक कार्य योजना (CAP): वह कार्य योजना जिसमें किसी भी सामाजिक अनुपालन अथवा सुरक्षा संबंधी मूल्यांकन रिपोर्ट में पाई गई किन्हीं भी बातों को ठीक करने की पद्धतियों का विवरण किया जाता है। CAP में प्राप्त प्रत्येक जानकारी, प्रत्येक परिवर्तनक्षम घटना का मूल कारण, उसमें सुधार के लिए आवश्यक कार्य, उसके लिए जिम्मेदार पक्ष, अंतिम दिवस की तिथि और कार्य मद को पूर्ण करने की स्थिति सूचीबद्ध होती है।

सुविधा: वह भौतिक स्थान जहाँ पर आपूर्ति श्रृंखला के किसी भी चरण के दौरान माल का उत्पादन या भंडारण किया जाता है।

न्यायपूर्ण श्रम संघ (Fair Labor Association फेयर लेबर असोसिएशन - "FLA"): कंपनियों, विश्वविद्यालयों और नागरिक समाज संगठनों का एक अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क जो यह सुनिश्चित करने में सहयोग कर रहा है कि दुनिया की फैक्ट्रियों और खेतों में काम कर रहे लाखों लोगों को वाजिब भुगतान किया जाए और वे अपने स्वास्थ्य, सुरक्षा और कल्याण को जोखिमों से संरक्षित रहें।

अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (International Labour Organization, "ILO"): श्रम मानकों को निर्धारित करने, नीतियां विकसित करने और सभी महिलाओं और पुरुषों के लिए अच्छे काम को बढ़ावा देने वाले कार्यक्रमों को तैयार करने के लिए सदस्य देशों की सरकारों, नियोक्ताओं और श्रमिकों को एक साथ लाने वाली एकमात्र त्रिपक्षीय संयुक्त राष्ट्र एजेंसी।

सबकॉन्ट्राक्टर: आपूर्तिकर्ता को छोड़ कर कोई भी अन्य व्यवसाय जिसे Fruit of the Loom (या उसके किसी संबंधित व्यवसाय ने) अपना पर्चेज़ ऑर्डर जारी किया हो, जो कि एक ऐसी प्रक्रिया करता हो जो कि सीधे आपूर्तिकर्ता द्वारा Fruit of the Loom के लिए उत्पाद के निर्माण से संबंधित हो। सबकॉन्ट्राक्ट वाली प्रक्रियाओं के उदाहरण हैं, कटाई, सिलाई या उसके बाद का कोई भी कार्य (उदाहरण के लिए, कढ़ाई, छपाई या ब्राण्ड किए हुए फिनिश्ड उत्पाद को इस्त्री करना)।

आपूर्ति श्रृंखला: किसी उत्पादन के निर्माण और विक्रय में शामिल सभी व्यक्तियों, संस्थानों, संसाधनों, गतिविधियों और टेक्नोलॉजी का नेटवर्क, जिसमें आपूर्तिकर्ता से स्रोत सामग्री की डिलीवरी से लेकर, अंतिम ग्राहक को अंततः की जाने वाली डिलीवरी तक की गतिविधियाँ शामिल हैं।

अनुपालन कार्यक्रम का सिंहावलोकन

Fruit of the Loom और हमारी संलग्न कंपनियों (संयुक्त रूप से , "Fruit of the Loom" या "FOTL"), में हम यह सुनिश्चित करने को प्रतिबद्ध हैं कि हमारी कंपनी सामाजिक दृष्टि से जिम्मेदार तरीके से अपना व्यवसाय करे, और व्यवसाय की आवश्यकताओं का पर्यावरण, हमारी आपूर्ति श्रृंखला में शामिल लोगों और हम जहाँ पर कार्यरत हैं उन समुदायों पर हमारे प्रभाव के साथ संतुलन बनाए रखें। हम ऐसे आपूर्तिकर्ता चुनते हैं जो कि हमारी तरह इस बात के लिए प्रतिबद्ध हों और जो एक वहनीय आपूर्ति श्रृंखला बनाने के लिए हमारे साथ कार्य करें।

FOTL आचार संहिता नैतिक और वैध व्यावसायिक प्रथाओं की स्थापना के साथ-साथ मानवाधिकारों और पर्यावरण के लिए सम्मान का प्रारंभिक बिंदु है। आपूर्तिकर्ताओं द्वारा FOTL आचार संहिता का तृतीय पक्ष मूल्यांकन कंपनियों द्वारा नियमित मूल्यांकनों के ज़रिए निरीक्षण किया जाता है। आपूर्तिकर्ताओं से हर समय अपनी कार्य प्रणाली के बारे में पारदर्शी होने की अपेक्षा की जाती है।

हम निरंतर सुधार के परिवेश को प्रोत्साहित करते हैं और हम जैसे जैसे सुधार के अवसर आएंगे, सहायता प्रदान कर पाएंगे। हमें साथ मिलकर एक ऐसी आपूर्ति श्रृंखला में काम करना चाहिए, जिस में व्यवसाय और लोगों की आवश्यकताओं को पूरा किया जाता हो और जो ऐसे कार्य करती हो, जिससे कि साझा पर्यावरण पर न्यूनतम प्रभाव हो।

आपूर्तिकर्ताओं के लिए निदेशक सिद्धांत एक ऐसा संसाधन है, जो कि सीधे Fruit of the Loom अथवा हमारी किसी संलग्न कंपनी के लिए हमारे ब्राण्ड का उत्पादन करने वाली सुविधाओं से हमारे सामाजिक अनुपालन संबंधी अपेक्षाओं की रूपरेखा प्रदान करता है।

☑ इस पूरे दस्तावेज में सही के निशान आवश्यक विशेष गतिविधि की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं।

आचार संहिता

FOTL में, हम अपने व्यवसाय को व्यवसाय संबंधी नैतिकता और मानव अधिकारों तथा पर्यावरण के सम्मान के उच्चतम मानकों के अनुसार व्यापार करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमारे उत्पादों की आपूर्ति करने वाली सभी सुविधाओं, उपठेकेदारों, जिनमें ठेकेदार, उपठेकेदार, लाइसेंस धारक , और अन्य निर्दिष्ट व्यावसायिक साझीदार शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं है से हम इसी प्रतिबद्धता को आवश्यक बनाते हैं। FOTL आचार संहिता उन मानकों को प्रतिबिंबित करती है जिन से हम सुनिश्चित करते हैं कि आपूर्तिकर्ता प्रतिबद्धताएं पूरी करें और यह ILO के मूलभूत रिवाज़ों और FLA कार्यस्थल आचार संहिता के मार्गदर्शन में संचालित हैं।

☑ यह आवश्यक है कि वर्तमान FOTL आचार संहिता उन भाषा(ओं) में पोस्ट की जाए जिसे सभी कर्मचारी समझते हों, और इसमें विदेशी आप्रवासी शामिल हैं, और यह सुविधा के भीतर एक ऐसे क्षेत्र में हो, जहाँ पर सभी कर्मचारी और मुलाकाती इस तक आसानी से पहुँच सकें। इसका आकार 11x17 इंच अथवा A3 होना चाहिए। सभी कर्मचारियों को सालाना तौर पर FOTL आचार संहिता में प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। माँग की जाने पर रिकॉर्ड FOTL को भेजे जाने चाहिए। FOTL आपूर्तिकर्ता के प्रबंधन दलों को आचार संहिता प्रशिक्षण प्रदान करता है।

आचार संहिता घटकों के संबंध में अतिरिक्त विवरण के लिए कृपया इन उप-शीर्षकों को देखें।

स्वास्थ्य और सुरक्षा

बांग्लादेश में स्थित सुविधाओं को Nirapon या RMG स्थिरता परिषद (RMG Sustainability Council, “RSC”) की आवश्यकताओ को पूरा करने में हिस्सा लेते हुए Fruit of the Loom के साथ पूरी तरह सहयोग करना चाहिए।

जबरन मज़दूरी

Fruit of the Loom अपनी आपूर्ति श्रृंखला में जबरन मज़दूरी के उपयोग को प्रतिबंधित करता है, जिसमें बंदी द्वारा मज़दूरी, बंधुआ मज़दूरी या गुलाम द्वारा मज़दूरी, करारबद्ध मज़दूरी शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं है। FOTL की आचार संहिता के तहत यह अनिवार्य है कि आपूर्तिकर्ता अपनी खुद की आपूर्ति श्रृंखला का निरीक्षण करें, और यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाएं कि उनकी सुविधाओं और उनकी आपूर्ति श्रृंखलाओं की सुविधाओं का उपयोग बेगार या मानव तस्करी के लिए न किया जाता हो। दूसरे शब्दों में, Fruit of the Loom के सभी आपूर्तिकर्ताओं, ठेकेदारों, उपठेकेदारों, लाइसेंसधारकों और अन्य निर्दिष्ट व्यावसायिक साझेदारों को अपनी खुद की आपूर्ति श्रृंखला में बेगार और मानव तस्करी को प्रतिबंधित करना चाहिए, और

माँग किए जाने पर अपने अनुपालन का साक्ष्य प्रदान करना चाहिए। इसके अतिरिक्त, मार्गदर्शन के रूप में निम्नलिखित Fruit of the Loom के सभी आपूर्तिकर्ताओं, ठेकेदारों, उपठेकेदारों, लाइसेंसधारकों, और अन्य निर्दिष्ट व्यावसायिक साझेदारों पर लागू होंगे:

- किसी भी बंदी, बंधुआ, गुलाम या करारबद्ध मज़दूर की अनुमति नहीं है।
- कर्मचारियों को भरती करने या नौकरी दिए जाने को लेकर किसी भी तृतीय पक्ष या नियोक्ता का ऋणी नहीं होना चाहिए।
- कर्मचारी को भरती, या नौकरी दिये जाने के दौरान या फिर नौकरी पर बने रहने के लिए कोई भी शुल्क, कर, डिपोज़िट या बॉन्ड नहीं चुकाना पड़ना चाहिए। पूर्ववर्ती में आयकर कटौतियाँ, सामाजिक बीमा या सरकारी प्राधिकरणों द्वारा अनिवार्य बनाई गई अन्य कानूनी कटौतियाँ शामिल नहीं हैं। प्रतिबंधित शुल्क के उदाहरण: रिक्रूटमेंट एजेंट का शुल्क/कमीशन, कानूनन आवश्यक चिकित्सकीय जाँचें या टीके, पासपोर्ट, कार्य विज़ा/परमिट, अंतर्राष्ट्रीय यात्रा, पहचान बैज या टाइम कार्ड, नोटरी या अन्य कानूनी शुल्क।
- नियुक्ति के वास्तविक नियम और शर्तें भर्ती के समय हस्ताक्षरित अनुबंधों के अनुपालन में होने चाहिए।
- प्रवासियों को घर छोड़ने से पहले नियुक्ति की मूलभूत शर्तों की जानकारी दी जानी चाहिए।
- कर्मचारियों की लिखित सहमति के साथ भी कर्मचारियों के निजी पहचान दस्तावेज़ सुविधा या रोज़गार एजेन्सी के नियंत्रण में या उसके पास नहीं होने चाहिए।
- कर्मचारियों पर फैक्ट्री द्वारा प्रदान किए जाने वाले निवास में रहने के लिए ज़बरदस्ती नहीं की जानी चाहिए।
- कर्मचारियों को काम के बाद एवं बिना भुगतान के विराम के दौरान Facility (सुविधा) से जाने से सीमित नहीं किया जाना चाहिए।
- ओवरटाइम काम परस्पर सहमति से होना चाहिए, उन कर्मचारियों के लिए भी जिन्होंने उत्पादन क्वोटा/टार्गेट पूरा न किया हो।
- बेगार के बारे में लिखित नीति होनी चाहिए और आपूर्ति श्रृंखला में बेगार एवं मानव तस्करी का उपयोग न किया जा रहा हो यह सुनिश्चित करने के लिए एक प्रक्रिया होनी चाहिए।
- बेगार संबंधी नीति और प्रक्रिया की हर साल समीक्षआ की जानी चाहिए एवंउसका अद्यतन किया जाना चाहिए।

- जबरन मज़दूरी की किसी भी घटना और सूत के उद्भव स्थान (यदि लागू होता हो) का रिकॉर्ड रखा जाना चाहिए।
- पर्यवेक्षकों सहित, कर्मचारियों को प्रक्रियाओं में संशोधन किया जाने पर उनके पद से संबंधित बेगार नीति और प्रक्रिया के बारे में प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए और इसका रिकॉर्ड रखा जाना चाहिए।

यह आवश्यक है कि वर्तमान FOTLमानव तस्करी पोस्टर उन भाषा(ओं) में पोस्ट किया जाए जिसे सभी कर्मचारी समझते हों, और इसमें विदेशी आप्रवासी शामिल हैं, और यह सुविधा के भीतर एक ऐसे क्षेत्र में हो, जहाँ पर सभी कर्मचारी और मुलाकाती इस तक आसानी से पहुँच सक।

उज़्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान का कपास

यह सभी को ज्ञात है कि उज़्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान में उत्पन्न कपास सरकार द्वारा प्रायोजित जबरन मज़दूरी से काटा जाता है। बाल मज़दूरी और जबरन मज़दूरी कंपनी की आचार संहिता के बिलकुल बर्दाश्त न किए जाने वाले उल्लंघन हैं और किसी भी परिस्थिति में बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। मानव अधिकारों के सम्मान के लिए प्रतिबद्ध कंपनी के रूप में, हम यह अपने व्यावसायिक साझेदारों से FOTL के लिए उत्पादों का उत्पादन करते समय प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उज़्बेकिस्तान या तुर्कमेनिस्तान से कपास खरीदने, या फिर ऐसे विक्रेताओं खरीदे धागे या कपड़े का जानबूझकर उपयोग करने से बचना अनिवार्य बनाते हैं, जो उज़्बेकिस्तान या तुर्कमेनिस्तान से कपास प्राप्त करते हों। उपरांत, हम यह आवश्यक बनाते हैं कि हमारे व्यावसायिक साझेदार FOTL के लिए बनाए गए सभी उत्पादों में उपयोग किए गए सूती कपड़े के उद्गम की पहचान करने वाले रिकॉर्ड रखें और इन रिकॉर्ड्स को मूल्यांकनों के दौरान समीक्षा के लिए उपलब्ध कराएं।

हम इस अति गंभीर समस्या के बारे में जानकारी प्राप्त करने को प्रतिबद्ध हैं, और इस नीति के किसी भी उल्लंघन को उपयुक्त कदमों से ठीक किया जाएगा अन्यथा दोषी कंपनी से व्यावसायिक संबंध समाप्त कर दिए जाएंगे।

उत्तर कोरियाई श्रम

यूनाइटेड स्टेट्स के कानून, Countering America's Adversaries Through Sanctions Act (काउंटरिंग अमेरिकाज़ एडवर्सरीज़ थ्रू सेंक्शन्स एक्ट यानी कि अमरिका के विरोधियों का प्रतिबंध द्वारा प्रतिकार करना कानून - "CAATSA") के तहत, कुछ अपवादों को छोड़ कर उत्तर कोरियाई नागरिकों या देशवासियों द्वारा पूर्ण या आंशिक रूप से खनन किए हुए, निर्मित या उत्पादन किए हुए किसी भी महत्वपूर्ण माल के यूनाइटेड स्टेट्स में प्रवेश पर प्रतिबंध है। यह सुनिश्चित करना हमारे आपूर्तिकर्ता और लाइसेंसधारकों की ज़िम्मेदारी है कि उनके उत्पादन और आपूर्ति श्रृंखला में बेगार का उपयोग नहीं किया जा रहा है, और यह कि, हमारी कंपनी से लिखित अनुमति न होने पर, उनकी उत्पादन और आपूर्ति श्रृंखला में किसी भी उत्तर कोरियाई नागरिक या देशवासी का उपयोग नहीं किया जा रहा ह। इसमें सभी लाइसेंसधारी और कच्ची सामग्री के आपूर्तिकर्ता तक के आपूर्तिकर्ताओं के सभी स्तर शामिल हैं।

चीन का शिनजिआंग वीघर स्वतंत्र क्षेत्र ("XUAR")

यूनाइटेड स्टेट्स कॉंग्रेस ने XUAR में मानव अधिकारों के उल्लंघन और बेगार के आरोपों के प्रतिभाव के रूप में Uyghur Forced Labor Prevention Act (उघ्युर बेगार की रोकथाम कानून - “UFLPA”) पारित किया है, जो कि Uyghur Human Rights Policy Act of 2020 (2020 के उघ्युर मानव अधिकार नीति कानून) का संशोधित रूप है। UFLPA XUAR में आंशिक या समग्र रूप से खनन किए गए, निर्माण किए गए या उत्पादन किए गए; XUAR सरकार के साथ बेगार में लोगों की भर्ती करने, उनका परिहवन करने, उन्हें रखने या प्राप्त करने में शामिल कुछ निकायों द्वारा उत्पादन किए गए; या XUAR से माल आयात करने वाले निकायों द्वारा उत्पादन किए गए सामान का यू.एस. में आयात प्रतिबंधित करता है। UFLPA के बिना साक्ष्य की उपस्थिति में सत्य माने जाने वाली धारणा से जीतने के लिए, आयातकार को साफ और ठोस साक्ष्य से स्थापित करना होगा, कि सामान का बेगार के इस्तेमाल से उत्पादन नहीं किया गया था। UFLPA XUAR में बेगार में शामिल, उसके लिए उत्तरदायी या उसे अनुकूलन प्रदान करने वाले के रूप में निर्धारित व्यक्तियों के खिलाफ प्रतिबंध को भी अधिकृति देता है। यू.एस. कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन (“CBP”) को आपूर्ति श्रृंखला में बेगार के संबंध में विथहोल्ड रिलीज़ ऑर्डर (निर्मोचन रोकने के आदेश - “WROs”) जारी करने के लिए अधिकृत किया गया है।

UFLPA के उपरांत, यू.एस. ट्रेज़री विभाग के विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय। (“OFAC”) ने अतिरिक्त निकायों को “Chinese Military-Industrial Complex Companies” (चीनी सेना-औद्योगिक संकुल कंपनियों - “CMICs”) के रूप में निर्दिष्ट किया है और उन्हें अपनी “Non-SDN Chinese Military-Industrial Complex Companies List (गैर-SDN चीनी सेना-औद्योगिक संकुल कंपनियाँ सूची “NS-CMIC List”) में जोड़ा है चूँकि वह सक्रिय रूप से चीन में जातीय और धार्मिक अल्पसंख्यकों, और मुख्यतः XUAR में स्थित ऐसे व्यक्तियों की बायोमेट्रिक निगरानी, ट्रैकिंग और फेशियल रेकग्निशन का सक्रिय रूप से समर्थन करते हैं। यू.एस. के व्यक्तियों का NS-CMIC सूची में मौजूद किसी CMIC द्वारा जारी सार्वजनिक रूप से ट्रेड किए जाने वाले शेयरों में कुछ प्रकार के लेनदेन में हिस्सा लेना प्रतिबंधित है। OFAC ने पहले व्यक्तियों और निकायो को XUAR में जातीय अल्प संख्यकों के खिलाफ मानव अधिकारों के उल्लंघन से उनके संबंध के लिए अपने वैश्विक मैग्नित्स्की प्रतिबंध विनियमों के तहत निर्दिष्ट किया था।

इसके अलावा, यू.एस. के कॉमर्स डिपार्टमेन्ट के ब्यूरो ऑफ इंडस्ट्री एंड सिक्यॉरिटी (“BIS”) ने नये विदेशी निकायों को अपनी “निकाय सूची” में जोड़ने वाला एक अंतिम नियम जारी किया है। निकाय सूची उन निकायों की पहचान करती है, जो यूनाइटेड स्टेट्स की राष्ट्रीय सुरक्षा या विदेश नीति हितों के खिलाफ गतिविधियों में शामिल होते हैं, जिन गतिविधियों में XUAR में मानव अधिकारों का उल्लंघन और बेगार संबंधी रीतियाँ शामिल हैं। निकाय सूची में मौजूद निकायों को निर्यात प्रशासन विनियमों में अन्यत्र मौजूद लाइसेंसिंग संबंधी

आवश्यकताओं और नीतियों की पूरक नीतियों के अधीन रहना पड़ता है, और इन नये जोड़े गए निकायों को निर्यात, पुनर्निर्यात, या देश के भीतर स्थानांतरण के लिए लाइसेंस अपवाद प्राप्त नहीं होते हैं।

जुलाई 2021 में, यू.एस. के डिपार्टमेन्ट ऑफ स्टेट, ट्रेज़री, कॉमर्स और होमलैंड सिक्यॉरिटी ने संयुक्त रूप से एक शिन जांग आपूर्ति श्रृंखला एडवाइज़री जारी की और बात में उसे अद्‌यतन भी किया, जिसमें व्यवसाय और व्यक्ति अगर XUAR से जुड़ी आपूर्ति श्रृंखलाओं, उपक्रमों या निवेशों से बाहर नहीं आते तो उन्हें जिनका सामना करना पड़ सकता है उन जोखिमों की रूपरेखा दी गई थी।

FOTL के आपूर्तिकर्ताओं को ऐसा कोई सामान या सामग्री उत्पन्न, निर्माण या प्राप्त (नहीं करना चाहिए जिसमें बिना मर्यादा के कॉटन और कॉटन इनपुट शामिल हैं), जो कि XUAR में या से प्राप्त किए गए हों, या जिन्हें ऐसे संगठन द्‌वारा बनाया या उत्पन्न किया गया हो जो अन्यथा प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में किसी CMIC या NS-CMIC सूची की गतिविधियों का समर्थ करता हो, जो BIS निकाय सूची पर मौजूद निकाय हो या फिर उसकी या उनकी कोई अनुषंगी कंपनी है। पूर्वगामी का दस्तावेज़ीकरण केवल FOTL के विवेकाधीन संतोषकारक तरीके से माँग करने पर प्रदान किया जाएगा (पृष्ठ 14 पर आपूर्ति श्रृंखला मैपिंग विभाग देखें)। चीन में और चीन के साथ व्यवसाय करने वाले FOTL के आपूर्तिकर्ताओं को नियमित रूप से होने वाली नई घटनाओं की समीक्षा करनी होगी और यह सुनिश्चित करना होगा कि उनकी नीतियाँ और प्रक्रियाएँ मौजूदा आर्थिक , प्रतिबंध, निर्यात और आयात संबंधी आवश्यकताओं से संरेखित हों।

कानूनों का अनुपालन

22 अगस्त, 2012 को यू.एस. सिक्योरिटीज़ एंड एक्स्चेन्ज कमिशनने डॉड-फ्रैंक वॉल स्ट्रीट रिफॉर्म एंड कन्ज़्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट (डॉड-फ्रैंक वॉल स्ट्रीट परिवर्तन एवं उपभोक्ता सुरक्षा कानून) के खंड 1502 की आवश्यकतानुसार एक अंतिम नियम अपनाया है, जिसमें सभी ऐसी कंपनियों के लिए कॉंगो प्रजासत्ताक गणराज्य (“DRC”) अथवा किसी संलग्न देश (DRC के साथ “Covered Countries” - सम्मिलित देश) में से आए संघर्षपूर्ण खनिजों का अपना उपयोग सार्वजनिक रूप से प्रकट करना आवश्यक है, जिनका स्वामित्व सार्वजनिक हो (यानि कि जिनके शेयर बाज़ार में खरीदे-बेचे जाते हों)। खंड 1502 के तहत, “संघर्षपूर्ण खनिज” में टेन्टेलम (जिसे कोलम्बाइट-टेन्टेलाइट से उत्पन्न किया जाता है), टिन (जिसे केसिटेराइट से उत्पन्न किया जाता है), टंग्स्टन (जिसे वॉल्फ्रेमाइट से उत्पन्न किया जाता है, और सुवर्ण शामिल है। सम्मिलित देशों में है DRC, और DRC से संलग्न देश: अंगोला, बुरुन्डी, मध्य आफ्रिकी गणराज्य, रवान्डा, दक्षिणी सुदान, तान्ज़ानिया, युगान्डा और ज़ाम्बिया।

यह नियम 31 जनवरी, 2013 के बाद उत्पादित सभी उत्पादों पर लागू होता है।

संघर्षपूर्ण खनिजों की पहचान और इनकी यू.एस. सरकार को रिपोर्ट करने में सहायता करने के लिए, प्रत्येक नए आपूर्तिकर्ता को FOTL की Excel संघर्षपूर्ण खनिज संबंधी प्रश्नावली पूर्ण कर अपनी आपूर्ति श्रृंखला का मूल्यांकन करना होता है। आपूर्तिकर्ताओं का हर साल बेतरतीब चयन किया जाएगा और उन्हें एक नई संघर्षपूर्ण खनिज संबंधी प्रश्नावली पूरी करनी होगी, जिसको पूरा करने से इसको दिए गए पहले के उत्तरों की सटीकता और पूर्णता का भी प्रमाणन हो जाएगा और पुष्टि की जाएगी। उपरांत हम सभी आपूर्तिकर्ताओं और लाइसेंसधारियों से निरंतर अपनी आपूर्ति श्रृंखला की समीक्षा करने की और यदि कोई संघर्षपूर्ण खनिज उपयोग किये जाएं या फिर कोई ऐसी घटना घटे जिससे संघर्षपूर्ण खनिज संबंधी प्रश्नावली गलत हो जाए, तो हमें इसकी जानकारी देने की अपेक्षा करते हैं।

सुरक्षा

यूनाइटेड स्टेट्स होमलैंड सिक्योरिटी विभाग और CBP ने आतंकवाद के खिलाफ कस्टम्स व्यापार साझेदारी प्रोग्राम (“**CTPAT**”) लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य व्यापार चैनलों की आतंकवाद से रक्षा करना और यू.एस की सीमाओं की सुरक्षा करना है। CTPAT प्रोग्राम के तहत व्यापार उद्योग से घरेलु यूनाइटेड स्टेट्स और विदेश में अपनी आपूर्ति श्रृंखला को सुरक्षित करके सरकार के प्रयासों का समर्थन करने का आग्रह करता है।

☑ इन प्रयासों के भाग के रूप में यू.एस में माल भेजने वाले आपूर्तिकर्ताओं के लिए कृपया निम्नलिखित आवश्यकताओं को नोट करें:

- वे सभी आपूर्तिकर्ता, जो कि यू.एस में माल भेजते हैं, उनके लिए हर साल FOTL की C-TPAT सुरक्षा वर्कबुक ("C-TPAT Security Questionnaire") पूरी करना अनिवार्य है।
- यू.एस में माल भेजने वाले सभी आपूर्तिकर्ताओं को C-TPAT- स्वीकृत ISO 17712:2013 उच्च सुरक्षा सील उपयोग करना होगा।
- सभी आपूर्तिकर्ताओं को हरेक कंटेनर के लिए कंटेनर निरीक्षण और सील सत्यापन जाँचसूची पूरी करनी होगी और उसे आपूर्तिकर्ता पोर्टल में कंटेनर जाँचसूची दस्तावेज़ प्रकार के तहत अपलोड किया जाना चाहिए।
- यू.एस में माल भेजने वाले सभी आपूर्तिकर्ताओं को एक तृतीय पक्ष मूल्यांकन फर्म द्वारा किया जाने वाला सुरक्षा मूल्यांकन करवाना होगा। इस आवश्यकता का अनुपालन करने के लिए SCAN अथवा WRAP सुरक्षा मूल्यांकन स्वीकार्य हैं।

  CBP FOTL के किसी आपूर्तिकर्ता (जो कि यू.एस में माल भेजता हो) के सुरक्षा उपायों का मूल्यांकन करने के लिए नियमित CTPAT सत्यापन करेगा।

आचार संहिता के अनुपालन की देखरेख करना

आकलन

सुविधाओं और उपठेकेदारों का इन तीसरा पक्ष मानकों में से किसी के द्वारा FOTL आचार संहिता के मूल्यांकन के लिए आकलन किया जाना चाहिए:

- व्यवसायिक सामाजिक अनुपालन पहल (BSCI)
- ELEVATE ज़िम्मेदार सोर्सिंग आकलन (ERSA)
- Sedex सदस्य नैतिकतापूर्ण व्यापार ऑडिट (SMETA) 4 पिलर
- कार्यस्थल स्थिति आकलन (WCA)
- वैश्विक ज़िम्मेदार प्रमाणित उत्पादन (WRAP)

☑ मूल्यांकन हो उससे पूर्व मूल्यांकन के लिए तुरंत भुगतान करना आपूर्तिकर्ता की जिम्मेदारी है। तथापि। FOTL, हमारी कंपनी के खर्च पर अचानक मूल्यांकन कराने का अधिकार आरक्षित रखता है।

पहला पर्चेज ऑर्डर प्राप्त करने से पहले, सुविधाओं और उपठेकेदारों का आकलन किया जाना चाहिए और उन्हें FOTL जिन्हें बड़ा और शून्य सहिष्णुता मानता है (बोल्ड किया हुआ) ऐसी समस्याओं से मुक्त होना चाहिए, जिनमें ये शामिल हैं:

स्वास्थ्य और सुरक्षा

1. ***सन्निकट रूप से जोखिमकारी कार्य स्थिति***
2. कार्य घंटों के दौरान आपात स्थिति निकास तालाबंद होना
3. कानूनन आवश्यक आग के अलार्म या अग्निशामक नामौजूद या खराब होना
4. कार्य फ्लोर पर बच्चों की मौजूदगी (काम न कर रहे)
5. सुविधा के पास औद्योगिक या निवासी इमारतों के निर्माण के लिए कानूनी स्वीकृति नहीं है

बाल-मजदूरी

6. ***नज़र में आने वाली बाल-मज़दूरी***
7. पिछले 12 महीनों में बाल मजदूरी का साक्ष्य पाया गया
8. बच्चों से जुड़े प्रतिबंधों का गैर-अनुपालन

जबरन मज़दूरी

9. ***कारावास का, क़रारबद्ध, गुलामों का या बंधुआ मज़दूरी का उपयोग किया गया, जिसमें किन्हीं उत्तर कोरियाई नागरिकों या वीघर जाति के व्यक्तियों एवं ज़िनजिआंग वीघर स्वतंत्र इलाके से अन्य मुसलमान अल्प-संख्यक समूहों के सदस्यों का उपयोग किया गया हो***
10. ***कामगारों के निजी पहचान पत्र दस्तावेज़ सुविधा के कब्जे में होना***
11. भरती या रोजगार के उद्देश्यों से कामागरोंने शुल्क, कर, डिपोज़िट या बॉन्ड चुकाए हैं, जिनमें गैरकानूनी वेतन कटौतियाँ शामिल हैं
12. रोज़गार के वास्तविक नियम और शर्तें भरती के दौरान हस्ताक्षरित ठेकों के अनुपालन में नहीं हैं
13. कामगार काम के बाद और/या बिना वेतन के ब्रेक के दौरान परिसर के बाहर जाने में असमर्थ होना
14. ओवरटाइम अनिवार्य है

उत्पीडन अथवा दुर्व्यवहार

15. उत्पीडन के संकेत
16. दुर्व्यवहार का संकेत

17. <u>हस्तक्षेप करने वाले या लिंग अनुपयुक्त सुरक्षा उपाय</u>

<u>कार्य घंटे</u>

18. ***<u>घर में काम करने वालों का गैरकानूनी या अनधिकृत उपयोग</u>***
19. <u>कार्य घंटों का रिकॉर्ड अधूरा, अनुपलब्ध या कम से कम 12 महीनों के लिए नहीं रखा गया होना या फिर अगर 12 महीनों से कम से प्रचालन अधीन हैं, तो प्रचालन की शुरुआत से नहीं रखा गया होना</u>
20. <u>काम के घंटों के झूठे रिकॉर्ड या काम किए गए घंटों की संख्या के बारे में सटीक जानकारी का अभाव होना</u>

<u>प्रतिफल</u>

21. <u>पेरोल का रिकॉर्ड अधूरा, अनुपलब्ध या कम से कम 12 महीनों के लिए नहीं रखा गया होना या फिर अगर 12 महीनों से कम से प्रचालन अधीन हैं, तो प्रचालन की शुरुआत से नहीं रखा गया होना</u>
22. <u>पेरोल रिकॉर्ड में काम किए गए घंटों, वेतन की दर, आइटमीकृत कटौती या अन्य कानूनी तौर पर आवश्यक संघटकों का अनुपस्थित होना</u>
23. <u>काम किए गए घंटों के लिए उचित वेतन भुगतान की पुष्टि करने के लिए गलत पेरोल रिकॉर्ड या सटीक जानकारी का अभाव होना</u>
24. <u>प्रशिक्षण प्राप्त या परिवीक्षा पर कार्यरत श्रमिकों सहित कम से कम कानूनी न्यूनतम वेतन का भुगतान करने में विफल होना</u>
25. <u>कानूनी ओवरटाइम, आराम के दिन की के या छुट्टी की प्रीमियम दर चुकाने में विफल होना</u>
26. <u>वेतन का देर से भुगतान</u>

<u>संघ बनाने एवं संयुक्त सौदेबाजी करने की स्वतंत्रता</u>

27. ***<u>संघ निर्माण की स्वतंत्रता या सौदेबाज़ी के अधिकारों को नकारा जाना या सीमित किया जाना</u>***
28. ***<u>प्रबंधन द्वारा श्रमिक संघों में खलल डालने के लिए उत्पादन का स्थान बदलने / बंद कर देने की धमकी देना</u>***
29. <u>श्रमिकों के प्रतिनिधि या यूनियन के चुनावों में प्रबंधन द्वारा हस्तक्षेप करना</u>
30. <u>वर्तमान या इच्छुक श्रमिकों या यूनियन प्रतिनिधियों के साथ भेदभाव, उत्पीड़न या दुर्व्यवहार करना</u>
31. <u>प्रबंधन द्वारा किसी श्रमिक संघ के प्रति अन्य संघ की तुलना में पक्षपात करना</u>

पर्यावरण वहनीयता

32. ठोस, तरल या वायु प्रदूषकों के निपटान के पूर्व उपचार में विफल होना

व्यापारिक नीतियाँ

33. ***मूल्यांकन टीम के लिए सुविधा ऐक्सेस करने की अस्वीकृति***

34. ***रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार, जबरन वसूली, धोखाधड़ी या अन्य अनैतिक कार्यरीतियाँ***

35. मूल्यांकन टीम द्वारा स्वतंत्र रूप से किससे इंटरव्यू करना है यह चुनने में असमर्थ होना

36. इंटरव्यू देने वालों को प्रशिक्षित किया जाना या प्रबंधन द्वारा डराया धमकाया जाना

उपठेकेदारी

37. किसी उपठेकेदार का अनधिकृत उपयोग

ऑर्डर पाना जारी रखने के लिए, वार्षिक मूल्यांकन आवश्यक हैं और माँग किए जाने पर सभी सामाजिक अनुपालन मूल्यांकन उपलब्ध कराए जाने चाहिए। आपूर्तिकर्ता मूल्यांकन से प्राप्त सभी निष्कर्षों को, जिनकी पहचान CAP में की गई है, सहमत समय-सीमा के भीतर सुधारने के लिए भी ज़िम्मेदार हैं। हम आपूर्तिकर्ताओं से अपेक्षा करते हैं कि वे आचार संहिता FOTL अथवा स्थानीय कानून, दोनों में से जो भी कर्मचारियों के लिए सुरक्षा का उच्चतर स्तर प्रदान करता हो, उसके अनुपालन के लिए मेहनत से कार्य करें।

सुविधा दौरे

FOTL कॉर्पोरेट सामाजिक ज़िम्मेदारी टीम उन सुविधाओं का नमूना चुनेंगी जिनकी मुलाकात करनी है। मुलाकातें सुरक्षा जाँच हो सकती हैं, आकलन सुधार सहायता, आकलन की तैयारी और FOTL आचार संहिता के न्यूनतम मानदंड का अनुपालन किया जा सकता है। सुविधाओं को मुलाकात के दौरान सभी इमारतों और संबंधित रिकॉर्डों का ऐक्सेस प्रदान करना चाहिए और किन्हीं भी निष्कर्षों को सुधारना चाहिए।

आपूर्ति श्रृंखला का मानचित्रांकन

हमारी वहनीयता योजना, “Fruitful Futures (फ्रूटफुल फ्यूचर्स)” में पारदर्शी आपूर्ति श्रृंखलाओं से वहनीय रूप से मँगवाने की हमारी प्रतिबद्धता शामिल है। हमारा इरादा 2025 तक हमारी 100% आपूर्ति श्रृंखला को कच्चे माल से मानचित्रांकित करना है। यह उन स्थानों को समझने और उन परिस्थितियों की सुरक्षा करने के हमारे कार्य में और CBP आवश्यकताओं, दोनों के लिए एक प्रमुख चरण है, जहाँ हमारे उत्पादों का निर्माण होता है।

☑ सुविधाओं को आपूर्ति श्रृंखला मैपिंग स्प्रेडशीट भरनी होगी, जो अंतिम असेम्बली निर्माता से कच्चे माल जिनमें कपड़ों के लिए सीने वाले धागे और इलास्टिक जैसे ट्रिम्स से लेकर कठोर सामान के लिए नट, बोल्ट, प्लास्टिक, रबर और चमड़े सहित पूरी आपूर्ति श्रृंखला को कवर करती है। सुविधाओं को अपनी आपूर्ति श्रृंखला के बारे में एक FOTL प्रश्नावली पूरा करने के लिए भी कहा जा सकता है। ऐफिडेविट (हलफ़नामे) और अन्य व्यवसाय दस्तावेज, जैसे कि पर्चेज़ ऑर्डर, इनवॉइस, भुगतान का साक्ष्य, रसीद का दस्तावेज़ीकरण, परिवहन के दस्तावेज़ और आपूर्ति श्रृंखला के सभी चरणों से उत्पादन रिपोर्ट की किसी भी समय माँग की जा सकती है और अगर CBP द्वारा किसी कंटेनर को रोका जाए, तो आवश्यक होता है। ये दस्तावेज माँग किए जाने के 20 दिनों के भीतर सभी व्यावसायिक साझीदारों से प्राप्त हो जाने चाहिए।

प्रतिबंधित देश

FOTL उत्पाद बनाने वाली सुविधाएं और उपठेकेदार इन देशों में से किसी में स्थित नहीं होने चाहिए:

- कम्बोडिया
- इथियोपिया
- म्यानमार

अतिरिक्त जानकारी या प्रश्नों के लिए अपनी FOTL कॉर्पोरेट सामाजिक ज़िम्मेदारी टीम से संपर्क करें।